वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

दिनांक– 14/03/2024

पत्रांक : 2029/वि0प्रा0/नि0/2023–24

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण या अन्य विकास प्राधिकरणों/सरकारी संस्थाओं/आवास एवं विकास परिषद मे पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। कार्य से सम्बन्धित विस्तृत निविदा नोटिस तथा ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र एन0आई0सी0 की वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** पर देखा जा सकता है। कार्य से सम्बन्धित ई–निविदा–प्रपत्र एन0आई0सी0 की वेबसाईट **http:// etender.up.nic.in** पर सबमिट की जायेगी।

क.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	बिड पद्धति	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रूपये में) समस्त टैक्स सहित	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की प्रारम्भ तिथि	निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय	बिड खोलने की तिथि एवं समय	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जनपद वाराणसी स्थित विधानसभा रोहनिया के अन्तर्गत काशी विद्यापीठ ब्लाक के ग्राम पंचायत छितौनी में मॉडल सामुदायिक हाल का निर्माण कार्य।	229.86	टू–बिड	10,900.00	4,60,000.00	15.03.2024	12.04.2024 अपरान्ह 3:00 बजे	12.04.2024 अपरान्ह 4:00 बजे	12 माह
2	जनपद वाराणसी स्थित विधानसभा सेवापुरी के अन्तर्गत सेवापुरी ब्लाक के ग्राम पंचायत ठठरा में मॉडल सामुदायिक हाल का निर्माण कार्य।	229.86	टू–बिड	10,900.00	4,60,000.00	15.03.2024	12.04.2024 अपरान्ह 3:00 बजे	12.04.2024 अपरान्ह 4:00 बजे	12 माह

नियम व शर्ते :–

1. उक्त कार्य की निविदा मूल्य (Tender Fee) इलेक्ट्रानिक माध्यम से (आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट) एच0डी0एफ0सी0 बैंक, रथयात्रा वाराणसी स्थित प्राधिकरण के खाता संख्याः– 50100357753860 (IFS Code No- HDFC0000220) में जमा करना होगा तथा जमा रसीद की प्रति अपलोड करनी होगी।
2. अग्रिम धरोहर धनराशि (EMD) प्राधिकरण की वेबसाइट **vdavns.com** पर उपलब्ध **EARNEST MONEY DEPOSIT MANAGEMENT SYSTEM** पर **अथवा** **https://emd.vdapms.in/ default.aspx** लिंक पर सीधे आनलाइन जमा किया जा सकता है तथा जमा रसीद की प्रति अपलोड करनी होगी।
3. निविदादाता द्वारा उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग–12 के शासनादेश सं0–622/23–12–201–2आडिट/08 टी0सी0–2 दिनांक–08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 दरों से 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दर दिये जाने पर 10 प्रतिशत निम्न तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉरमेन्स गारन्टी की धनराशि नगद/एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करनी होगी। परफार्मेन्स गारण्टी जमा न करने की दशा में धरोहर राशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जायेगी एवं अग्रिम निविदाओं में प्रतिभाग लिए जाने से रोका जा सकता है।
4. निविदा की दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है। जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
5. निविदा प्रपत्र उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन की वेबसाईट "http://www.etender.up.nic.in" पर देखे जा सकते हैं तथा इसी वेबसाईट से डाउनलोड/अपलोड भी किये जा सकेंगे। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाईट को देखते रहें क्योकि प्रश्नगत निविदाओं के सम्बन्ध मे कोई बदलाव अथवा सूचना उक्त वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
6. कार्य के मात्रा में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरूद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
7. निविदा की स्वीकृति की दशा में जमानत धनराशि हेतु स्वीकृत कार्य लागत की 5 प्रतिशत धनराशि में से उक्त कॉलम–6 के अनुसार जमा धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि ठेकेदारों द्वारा देय होगी अथवा सम्पूर्ण आवश्यक जमानत धनराशि का एफ0डी0आर0 (अधिशासी अभियन्ता, वा0वि0प्रा0 के पक्ष में बन्धक हो) जमा करनी होगी।
8. निविदादाता को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी0एस0टी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा समय–समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य निर्देशित करों/देयता की कटौती ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार की जायेगी।
9. स्टेट बार कौसिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाताओं को निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं हैं। साथ ही यदि निविदादाता/फर्म के किसी पार्टनर का सगा सम्बन्धी (First blood relation & their dependant), यथा पिता, पुत्र, भाई, बहन, चाचा, दादा, नाना, पौत्र, फर्स्ट कजिन, सास–श्वसुर, दामाद, बहनोई, पत्नी/पति के भाई बहन, माता, मामा–मामी, चचेरे भाई–बहन, मौसेरे भाई–बहन, आदि वाराणसी विकास प्रधिकरण में कार्यरत है तो उसे भी निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

10. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ठेकेदार को कालीसूची में डाल दिया जायेगा।

11. वाराणसी विकास प्राधिकरण या अन्य विकास प्राधिकरणों/सरकारी संस्थाओं/आवास एवं विकास परिशद मे पंजीकृत ठेकेदार/फर्मस् निविदा में प्रतिभाग कर सकती है। वाराणसी विकास प्राधिकरण में पंजीकृत निविदादाताओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं को सम्बन्धित विभाग का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। सफल निविदादाताओं को अनुबन्ध के समय वाराणसी विकास प्राधिकरण में नियमानुसार अपनी फर्म का पंजीकरण कराना होगा। फर्म के पंजीकरण की नियमावली प्राधिकरण के वेबसाइट (.vdavns.com) पर देखी जा सकती है। प्राधिकरण के पंजीकरण नियमावली में दर्शित नियम व शर्तो को पूर्ण करने वाली फर्मो की निविदा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

12. निविदादाता द्वारा निर्धारित जिलाधिकारी कार्यालय से निर्धारित प्रारूप पर निर्गत अद्यावधिक हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा जो निविदा खोलने की तिथि तक अनिवार्यतः वैध हो। अन्य प्रान्तों के निवासित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र में प्रचलित नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उक्त प्रमाण पत्र ही मान्य होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रदत्त अधिकारी ही सक्षम है।

13. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष–2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा हेतु श्रम विभाग में एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः अनुबन्ध गठन के पश्चात उक्त पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. लोक निर्माण विभाग के स्टैण्डर्स बिड डॉक्यूमेन्ट (एस.बी.डी.)/मॉडल बिड डाक्यूमेन्ट (एम.बी.डी.) के भाग–4 के प्रस्तर–13 के अनुसार रू0 40.00 लाख से अधिक के कार्यो तथा निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की संरक्षा हेतु ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे पर कार्य एवं सम्बन्धित कामगारों का बीमा कराना आवश्यक है।

15. समान प्रकृति के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है जिस हेतु अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16. ज्वाइंट वेंचर निविदा मान्य नहीं होगी।

17. निविदा खोलने की तिथि को अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

18. यदि दो अथवा दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा निविदा की दरें समान दी जाती है तो न्यूनतम निविदादाताओं से सूचित किये जाने वाले अवधि के अन्दर पुनः सील बन्द लिफाफे में संशोधित दर प्राप्त कर तदनुसार विचार किया जा सकता है। यदि फिर भी समान दरें प्राप्त होती हैं तो लाटरी के माध्मय से निविदा पर विचार किया जायेगा।

19. यदि कतिपय कारणों से कोई फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है तो द्वितीय न्यूनतम निविदादाता से प्रथम न्यूनतम निविदादाता की दर पर सहमति प्राप्त कर कार्य कराया जा सकता है।

20. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

21. निविदा आमंत्रण सूचना के नियम व शर्तों तथा निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित नियम व शर्तों में यदि कोई भिन्नता होती है तो निविदा आमन्त्रण–सूचना की नियम व शर्तें ही मान्य होगी।

22. फर्म द्वारा कराये गये कार्य के किसी मद में कमियॉं परिलक्षित होती है तो उक्त मद में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

23. फर्म/ठेकेदार को अपने कार्यालय का स्पश्ट पता, मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल का विवरण अनिवार्यतः संलग्न करना होगा।

24. निविदादाता द्वारा प्रश्नगत कार्य स्थल का निरीक्षणोपरान्त तथा उक्त समस्त शर्तो को संज्ञान में लेते हुए निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा।

14/03/24

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक : /वि0प्रा0/नि0/2023–24 दिनांक–

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2. सचिव, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, वा0वि0प्रा0।
4. संबंधित संचिका/नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by ANAND KUMAR MISRA
Date: 2024.03.15 10:19:05 IST
Location: Uttar Pradesh-UP